(50)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4257-दो/2013 - विरूद्ध आदेश दिनांक 15-10-2013 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 305/2007-08 अपील

ज्ञानेन्द्र प्रसाद गुप्ता पुत्र जयपतीप्रसाद गुप्ता
ग्राम कोतरकला तहसील गोपदबनास
जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- रामकृपाल गुप्ता पुत्र मदनीदास गुप्ता
2- श्रीमती सरस्वती देवी पत्नि अवधेश प्रसाद
दोनों ग्राम कोतरकला तहसील गोपदबनास
जिला रीवा मध्य प्रदेश
3- मेसर्स गुप्ता एण्ड एसोसिएट जमोडी कला
नियर तोरण द्वार सीधी म0प्र0
व्दारा दीपककुमार गुप्ता पुत्र रामशरण
ग्राम अमहा वार्ड क-22 सीधी तहसील
गेपदबनास जिला सीधी मध्य प्रदेश ----अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री बेदप्रकाश वर्मा)
(अनावेदक 1,2 अभिभाषक श्री आर.के.देव पाण्डेय)
(अनावेदक 3 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 19-06-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 205/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2013 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109, 110 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि अनावेदक कमांक-1 उसे ग्राम कोतरकला की भूमि सर्वे नंबर 5/2 रकबा 0.50 एकड़ दिनांक 3-10-2000 को पंचाट अवार्ड के साथ दे चुका है एंव मौके पर कब्जा भी दे दिया है इसलिये पंचाट अवार्ड के आधार पर उसका नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार गोपदबनास ने प्रकरण कमांक 120 अ 6/2001-02 पॅजीबद्व किया तथा दिनांक 24-12-2006 को आयोजित लोक अदालत में आदेश दिनांक 24-12-2006 से नामान्तरण आवेदन खारिज कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास जिला सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 1073/2006-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2007 से अपील निरस्त कर दी। अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास के इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 205/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2013 अपील निरस्त कर दी। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उपस्थित पक्षकारों के अभिभाषकों को सुना गया तथा आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने तहसीलदार गोपद बनास के समक्ष आवेदन देकर मांग की है कि अनावेदक कमांक-1 ने उसे ग्राम कोतरकला की भूमि सर्वे नंबर 5/2 रकबा 0.50 एकड़ दिनांक 3-10-2000 को पंचाट अवार्ड के साथ दिया है एंव मौके पर कब्जा भी दिया है, इसलिये पंचाट अवार्ड के आधार पर नामान्तरण किया जावे। तहसीलदार गोपद बनास ने प्रकरण कमांक 120 अ 6/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 24-12-2006 में इस प्रकार का निष्कर्ष दिया है :-

" संहिता की धारा 109, 110 के तहत किसी भी भूमि का नामान्तरण किसी अन्य के नाम किये जाने हेतु विधिवत् पॅजीकृत विकय पत्र के आधार पर किए जाने का प्रावधान है न किसी किसी पंचाट या अन्य के कारण है। "

मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 109 (1) में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित करता है , अपने व्दारा ऐसा अधिकार अर्जित किए जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा। इसी धारा की टिप्पणी में अधिकारों के अर्जन की रीति बताई गई है जिसमें पंचाट अवार्ड के माध्यम से हक के अर्जन होना अंकित नहीं है। फलस्वरूप आवेदक व्दारा पंचाट अवार्ड के माध्यम से अर्जित हक बैध हक अर्जन नहीं माना जा सकता। तहसीलदार व्दारा आदेश दिनांक 24-12-06 लोक अदालत में पारित हैजो अपील/निगरानी योग्य भी नहीं है। तहसीलदार गोपदबनास व्दारा आदेश दिनांक 24-12-2006 में निकाले गये निष्कर्ष, अनुविभागीय अधिकारी गोपद बनास व्दारा आदेश दिनांक 15-10-2007 में निकाले गये निष्कर्ष तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 205/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2013 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती हैं जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में आवेदक को किसी प्रकार का अनुतोष दिये जाने पर विचार करना संभव नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 205/2007-08 अपील में पारित आदेश दिनांक 15-10-2013 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर